MT-10

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : खजौली

निरीक्षण की तिथि : 16.10.2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 16-10-2002 को खजौली थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

खजौली थाना की स्थापना सरकार की अधिसूचना संख्या 152, दिनांक 6-1-1976 के द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई है जबकि निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 1949 से निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध है । अतः यह अपने आप में विरोधाभाषी है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ऐसी चर्चा है कि इस थाना की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हुई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मधुबनी अथवा आरक्षी मुख्यालय, पटना से सम्पर्ककर पूर्व अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर उसे संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

खजौली थाना जिला मुख्यालय से 20 कि०मी० की दूरी पर उत्तर भाग में मधुबनी-राजनगर-खजौली पी०डब्लू०डी० सड़क के किनारे अवस्थित है । यह थाना रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से जुड़ा होने के कारण आवागमन की दृष्टिकोण से सुविधाजनक है । इस थाना के उत्तर में 12 कि०मी० की दूरी पर जयनगर थाना, दक्षिण में 10 कि०मी० की दूरी पर राजनगर थाना, पूरब में 20 कि०मी० की दूरी पर बाबूबरही थाना एवं पश्चिम में 15 कि०मी० की दूरी पर कलुआही थाना है, जो खजौली थाना का सहायक थाना है । खजौली अंचल अन्तर्गत एक मात्र थाना खजौली ही है । इस थाना के अन्तर्गत कोई पुलिस पिकेट कार्यरत नहीं है किन्तु निम्न स्थानों पर अपराध केन्द्र है, जहाँ दफादार/चौकीदारों से काम चलाया जा रहा है यथा भकुआ, करमौली, ठाकर, विरौल, महराजपुर चौक, सुक्की, फुलपनियाँ हाट, मदना अकसपुरा ।

खजौली थाना क्षेत्र होकर दो मुख्य नदी कमला एवं धौरी बहती है । कमला नदी के उस पार मरूकिया, गोबरौरा, चतरा आदि गाँव है । निरीक्षण के समय अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, खजौली भी उपस्थित थे ।

2- भवन :-

खजौली थाना अपने भवन में कार्यरत है । यह भवन काफी पुराना है । एस्बेस्टस शीट का छत है परन्तु

लगातार.....2/=

फॉल्स सिलिंग लगा हुआ है । भवन काफी बड़ा है एवं परिसर भी लम्बा-चौड़ा है । भवन की स्थिति सुदृढ है मात्र रंगाई-पोताई की आवश्यकता है । कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि इस भवन की रंगाई-पोताई एक माह के अन्दर सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । थाना भवन में थाना प्रभारी का कार्यालय कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, मालखाना, वितंतु कक्ष, पुलिस बैरक, पुरूष हाजत एवं महिला हाजत है । इसी परिसर में आरक्षी निरीक्षक का भी कार्यालय अवस्थित है । इसी परिसर में अवर निरीक्षक के लिए दो आवास, स0अ0नि0 के लिये चार आवास, आरक्षी के लिए दो आवास एवं आरक्षी निरीक्षक के लिए आवासीय भवन है, जो पर्याप्त है । इसकी भी रंगाई-पोताई की आवश्यकता है ।

थाना भवन का कुल रकबा पाँच एकड़ है, जो मौजा मनिअड्वा, खेसरा नं0 156 में है । थाना परिसर के पश्चिम एवं दक्षिण में चहारदिवारी है परन्तु पूरब एवं उत्तर खुला हुआ है, जहाँ चहारदिवारी की आवश्यकता है । शेष भाग में चहारदिवारी के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी एक माह के अन्दर आवश्यक कार्रवाईकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

थाना परिसर में आम का पेड़, बरगद का पेड, पुराना मंदिर एवं कुआँ है । थाना भवन के पीछे भाग में घास-फूस उगा हुआ है एवं पुराना छड़ रखा हुआ है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर इसकी सफाई सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

3- प्रभार :-

अवर निरीक्षक, कीर्ति नारायण पासवान दिनांक 06-02-2002 से थाना प्रभारी, खजौली के प्रभार में हैं । इसके पूर्व अवर निरीक्षक आनन्द कुमार थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । वर्ष 1994 से पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची बनाई गई है जबकि यह थाना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही कार्यरत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में उपलब्ध अभिलेख अथवा आरक्षी केन्द्र, मधुबनी में उपलब्ध डिस्पोजीशन रजिस्टर से सूचना प्राप्तकर प्रारम्भ से लेकर अबतक जितने भी थाना प्रभारी कार्यरत रहे हैं, उनकी सूची (नामपट्ट) 15 दिनों के अन्दर बनाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें एवं उक्त सूची की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें । वर्ष 1994 से

लगातार...3/-

उपलब्ध सूचनानुसार पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अ0 नि0	राजेन्दर प्रसाद साह	19-06-1994	01-07-1995
2-	अ0 नि0	सत्य नारायण रजक	02-07-1995	23-08-1997
3-	अ0 नि0	शिव चन्द्र चौधरी	24-08-1997	16-08-1998
4-	अ0 नि0	के0 डी0 पासवान	17-08-1998	09-12-1999
5-	अ0 नि0	जी0 एम0 नौशाद	10-12-1999	12-06-2001
6-	अ0 नि0	एस0 के0 सुमन	13-06-2001	08-08-2001
7-	अ0 नि0	आनन्द कुमार	09-08-2001	05-02-2002
8-	अ0 नि0	के0 एन0 पासवान	06-02-2002	अद्यतन

4- स्थापना :-

खजौली थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	अवर निरीक्षक	2	2	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-
3-	हवलदार	1	-	1
4-	आरक्षी	9	4	5
	कुल :-	14	8	6

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	पदस्थापन की की तिथि	इस जिला में योगदान की तिथि	पूर्व पदस्थापन का स्थान	गृह पता
1-	अ0 नि0	कीर्ति ना0 पासवान	06-02-2002	मई, 2002	लौकही थाना	ग्राम हसनपुर, जि0सुपौल

लगातार...4/-

2-	अ0नि0 प्रभु दयाल गुड़िया	19-10-2001	07-11-2001 आरक्षी केन्द्र	,ग्राम गुम्मू, थाना तोरपा, राँची
3-	स0अ0नि0गोवर्धन मंडल	04-09-2001	29-08-2000 आरक्षी केन्द्र	ग्राम कुसमाहा, जिला बाँका
4-	स0अ0नि0 राजेश्वर प्र0 सिंह	07-10-2002	15-08-2001 आरक्षी केन्द्र	ग्राम नरहिया, जिला औरंगाबाद
5-	सा0आ0 महेश्वर प्र0 यादव सं0-591	26-06-2000	12-08-1985 आरक्षी केन्द्र	ग्राम कबरिया, जिला दरभंगा
6-	आ0-34 उपेन्द्र नाथ सिंह	30-03-2001	18-11-2000 आरक्षी केन्द्र	ग्राम शाहपुर, सोनपुर, जिला छपरा
7-	आ0-242 अलियार राम	23-04-2002	06-02-2002 आरक्षी केन्द्र	ग्राम अखिनी, जिला कैमूर
8-	आ0-653 देवेन्द्र सिंह	03-09-2002	18-07-1999 आरक्षी केन्द्र	ग्राम छनौरा, अवतारनगर, छपरा

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का 5 पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

साक्षर आरक्षी सं0 591 महेश्वर प्रसाद यादव वर्ष 1985 से ही इस जिला बल में कार्यरत हैं जबकि नियमानुसार किसी आरक्षी को एक जिला बल में मात्र 06 वर्ष ही रखा जाना है । अतएव आरक्षी अधीक्षक श्री यादव को इस जिला बल से दूसरे जिला बल में स्थानान्तरित हेतु शीघ्र कार्रवाई करना चाहेंगे ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

झंझारपुर... छजौली थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री एस दत्ता	जिला पदा0, दरभंगा	14-11-1952	17-11-1952	28-11-1952
2-	श्री बी0 उपाध्याय	आ0अधीक्षक, दरभंगा	26-11-1952	17-03-1953	24-04-1953
3-	श्री एस0 पी0 सिन्हा	आर0अधीक्षक, दरभंगा	30-06-1954	02-07-1954	20-07-1954
4-	श्री एस0 बी0 सहाय	आर0, अधीक्षक, दरभंगा	20-01-1960	03-02-1960	12-02-1960
5-	श्री एस0 बी0 सहाय	आर0, अधीक्षक, दरभंगा	31-01-1961	23-02-1961	26-05-1961
6-	श्री ए0 कुमार	आर0, अधीक्षक, दरभंगा	16-01-1966	28-01-1966	08-02-1966
7-	श्री ए0 कुमार	आर0, अधीक्षक, दरभंगा	11-06-1966	15-06-1966	04-07-1966

लगातार...5/-

8-	श्री स० कुमार	आर० अधीक्षक, दरभंगा	23-12-1962	23-12-1966	06-08-1967
9-	श्री आर० आर० प्रसाद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	28-11-1975	30-09-1976	30-10-1976
10-	श्री आर० आर० प्रसाद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	20-09-1976	17-01-1977	16-05-1977
11-	श्री एन० पी० सहाय	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	02-03-1978	04-04-1978	26-09-1979
12-	श्री एन० पी० सहाय	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	30-01-1979	11-02-1979	28-02-1979
13-	श्री एन० अहमद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	20-11-1979	16-12-1979	25-03-1980
14-	श्री रंजीत सिन्हा	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	25-01-1981	03-02-1981	05-02-1981
15-	श्री अरूण चौधरी	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	19-07-1984	21-07-1984	30-07-1984
16-	श्री एन० सी० ढोंडियाल	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	11-09-1985	16-09-1985	25-09-1985
17-	श्री एन० सी० ढोंडियाल	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	04-03-1987	07-03-1987	01-05-1987
18-	श्री नीलमणि	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	05-02-1990	16-03-1990	18-04-1990
19-	श्री आर०आर०वर्मा,	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	28-04-1990	29-05-1990	30-08-1990
20-	श्री पी०आर०के०नायडू	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	24-01-1992	25-01-1992	28-02-1992
21-	श्री पी०आर०के०नायडू।	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	10-09-1992	13-09-1992	12-10-1992
22-	श्री राम लखन प्रसाद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	15-12-1994	30-12-1994	25-08-1995
23-	श्री राम लखन प्रसाद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	30-08-1995	05-09-1995	27-10-1995
24-	श्री राम लखन प्रसाद	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	05-08-1996	05-12-1996	25-06-1997
25-	श्री सहाब अख्तर	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	29-07-1997	21-09-1997	25-09-1998
26-	श्री विमलेश प्र० सिन्हा	आर०, अधीक्षक, मधुबनी	29-08-2001	21-09-2001	03-11-2002
27-	श्री बी० लाल	अनु०पदा०, मधुबनी	06-03-1961	16-03-1961	24-10-1961
28-	श्री यू०डी०चौबे	अनु०पदा०, मधुबनी	28-12-1963	30-12-1963	30-04-1964
29-	श्री बी०बी०लाल	अनु०पदा०, मधुबनी	24-03-1968	12-04-1968	09-06-1968
30-	श्री पी० रंजन	सहा०आ०अ०, मधुबी	18-11-1967	03-01-1968	18-02-1968
31-	श्री पी० रंजन	सहा०आ०अ०, मधुबनी	09-12-1968	07-02-1969	10-02-1969
32-	श्री पी० रंजन	सहा०अ०अ०, मधुबनी	30-12-1969	23-01-1970	10-02-1970
33-	श्री के०बी०कुमार	सहा०आ०अ०, मधुबनी	13-09-1972	26-10-1972	30-10-1972
34-	श्री एम० सिंह	अनु०पदा०, मधुबनी	11-11-1966	24-12-1966	25-12-1966
35-	श्री सरयू राय	आ०उपा०, मधुबनी	19-08-1951	08-09-1951	02-11-1951
36-	श्री सरयू राय	आर०उपा०, मधुबनी	02-11-1952	08-11-1952	14-11-1952

लगातार... 6/-

37-	श्री यू० पी० बनर्जी	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	30-12-1953	10-01-1954	26-02-1954
38-	श्री यू० पी० बनर्जी	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	18-12-1954	31-12-1954	06-03-1955
39-	श्री एस० पी० सिंह	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	27-11-1060	20-12-1060	22-01-1961
40-	श्री बी०बी०प्रसाद	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	09-01-1962	09-01-1962	28-03-1962
41-	श्री जे०एन०श्रीवास्तव	अ०अधीक्षक, दरभंगा	01-03-1962	02-03-1962	23-03-1962
42-	श्री जे०एन०श्रीवास्तव	अ०अधीक्षक, दरभंगा	16-03-1963	17-04-1963	01-05-1963
43-	श्री जे०एन०श्रीवास्तव	अ०अधीक्षक, दरभंगा	13-02-1964	29-03-1964	11-01-1965
44-	श्री एन०एन०प्रसाद	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	24-09-1963	09-11-1963	30-12-1963
45-	श्री एन०एन०प्रसाद	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	11-01-1965	21-01-1965	04-02-1965
46-	श्री एन०एन०प्रसाद	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	15-12-1965	05-01-1966	14-01-1966
47-	श्री जे०बी०झा	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	15-10-1966	08-11-1966	-
48-	श्री आर०पी०सिंह	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	26-02-1968	30-05-1968	30-10-1968
49-	श्री आर०पी०सिंह	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	24-02-1969	23-07-1969	01-09-1969
50-	श्री आर०पी०सिंह	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	14-06-1970	24-06-1970	05-07-1970
51-	श्री बी०के०सिंह	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	30-09-1979	20-10-1979	25-03-1980
52-	श्री हरिशंकर शुक्ला	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	29-11-1981	30-11-1981	-
53-	श्री हरिशंकर शुक्ला	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	02-02-1983	10-02-1983	05-08-1983
54-	श्री एम०एन०झा	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	27-10-1983	29-10-1983	28-10-1983
55-	श्री एम०एन०झा	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	31-03-1985	31-03-1985	11-04-1985
56-	श्री एम०एन०झा	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	26-02-1986	03-03-1986	-
57-	श्री जे० कुजूर	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	09-12-1987	20-12-1987	03-04-1988
58-	श्री जे० कुजूर	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	29-09-1988	05-10-1988	25-10-1988
59-	श्री रंजीत कुमार प्रसाद	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	09-12-1990	17-12-1990	20-12-1990
60-	श्री नवीन कुमार सिन्हा	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	26-12-1992	26-12-1992	04-01-1993
61-	श्री उमाशंकर सुधांशु	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	05-02-1998	08-02-1998	19-09-1998
62-	श्री शिव शंकर	अ०उपाधीक्षक, मधुबनी	28-01-2001	28-01-2001	27-08-2001
63-	श्री अ०लतीफ खान	अ०निरीक्षक, झंझारपुर	06-12-1950	06-12-1950	17-01-1951
64-	श्री अ०लतीफ खान	अ०निरीक्षक, झंझारपुर	24-11-1951	25-11-1951	30-12-1951

लगातार....7/-

65-	श्री अ0लतीफ खान	आ0निरीक्षक, खजौली	28-06-1952	28-06-1952	13-08-1952
66-	श्री जी0 एन0 सिंह	आ0निरीक्षक, खजौली	01-08-1953	01-08-1953	18-10-1953
67-	श्री उरमान खान	आ0निरीक्षक, खजौली	22-03-1954	22-03-1954	24-03-1954
68-	श्री उरमान खान	आ0निरीक्षक, खजौली	31-07-1954	31-07-1954	15-08-1954
69-	श्री उरमान खान	आ0निरीक्षक, खजौली	09-05-1955	19-05-1955	19-05-1955
70-	श्री ए0 बी0 सिंह	आ0निरीक्षक, जयनगर	30-03-1960	03-03-1960	22-04-1960
71-	श्री एस0एन0सिंह	आ0निरीक्षक, जयनगर	20-11-1961	20-11-1961	16-12-1961
72-	श्री सू0एम0झा	आ0निरीक्षक, जयनगर	28-02-1963	28-02-1963	22-03-1963
73-	श्री सू0एम0झा	आ0निरीक्षक, जयनगर	31-10-1963	13-11-1963	25-12-1963
74-	श्री सू0एम0झा	आ0निरीक्षक, जयनगर	28-11-1964	14-01-1965	08-02-1965
75-	श्री आई0बी0तिवारी	आ0निरीक्षक, जयनगर	29-01-1966	29-01-1966	06-02-1966
76-	श्री आई0बी0तिवारी	आ0निरीक्षक, जयनगर	27-06-1966	27-06-1966	07-07-1966
77-	श्री आई0बी0तिवारी	आ0निरीक्षक, जयनगर	26-03-1967	26-03-1967	02-10-1967
78-	श्री बी0राम	आ0निरीक्षक, जयनगर	20-12-1967	20-12-1967	10-01-1968
79-	श्री बी0 राम	आ0निरीक्षक, जयनगर	30-06-1968	30-06-1968	28-07-1968
80-	श्री बी0 राम	आ0निरीक्षक, जयनगर	04-09-1969	04-09-1969	13-09-1969
81-	श्री बी0 राम	आ0निरीक्षक, जयनगर	29-03-1970	29-03-1970	04-04-1970
82-	श्री बी0 राम	आ0निरीक्षक, जयनगर	28-08-1970	29-08-1970	15-07-1971
83-	श्री आर0बी0सिंह	आ0निरीक्षक, खजौली	31-07-1971	10-08-1971	05-09-1971
84-	श्री विश्वनाथ सिंह	आ0निरीक्षक, खजौली	31-08-1974	31-08-1975	31-08-1975
85-	श्री के0 एन0 सिंह	आ0निरीक्षक, खजौली	19-02-1977	20-07-1977	08-10-1977
86-	श्री के0 बी0 यादव	आ0निरीक्षक, खजौली	06-07-1979	06-07-1979	06-09-1979
87-	श्री डी0एन0कुँवर	आ0निरीक्षक, खजौली	19-11-1982	19-11-1982	20-11-1982
88-	श्री डी0एन0कुँवर	आ0निरीक्षक, खजौली	03-07-1983	05-07-1983	06-08-1983
89-	श्री पी0एन0तिवारी	आ0निरीक्षक, खजौली	09-02-1984	09-02-1984	08-03-1984
90-	श्री पी0एन0तिवारी	आ0निरीक्षक, खजौली	01-10-1984	20-10-1984	14-10-1984
91-	श्री पी0एन0तिवारी	आ0निरीक्षक, खजौली	13-12-1985	14-12-1985	-
92-	श्री जे0पी0सिंह	आ0निरीक्षक, खजौली	01-08-1987	01-08-1987	06-09-1987

लगातार...8/-

93-	श्री चन्द्रदेव प्रसाद केशरी	आ0निरीक्षक, खजौली	10-01-1989	20-01-1989	-
94-	श्री एस0पी0रजक	आ0निरीक्षक, खजौली	31-12-1989	31-12-1989	07-01-1990
95-	श्री उमाकांत बैठा	आ0निरीक्षक, खजौली	13-01-1992	13-01-1992	15-01-1992
96-	श्री उमाकांत बैठा	आ0निरीक्षक, खजौली	12-12-1992	13-12-1992	21-12-1992
97-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आ0निरीक्षक, खजौली	18-02-1992	18-02-1992	15-07-1994
98-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आ0निरीक्षक, खजौली	06-03-1995	06-03-1995	25-08-1995
99-	श्री अखिलेश्वर ठाकुर	आ0निरीक्षक, खजौली	06-08-1995	06-08-1995	25-08-1995
100-	श्री सत्यनारायण पास0	आ0निरीक्षक, खजौली	13-09-1997	14-09-1997	19-09-1998
101-	श्री जगदीश दास	आ0निरीक्षक, खजौली	04-08-2001	04-08-2001	03-11-2001
102-	श्री जगदीश दास	आ0निरीक्षक, खजौली	22-02-2002	22-02-2002	15-03-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1949 से निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका थाना में उपलब्ध है परन्तु थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण के समय वर्ष 1992 से किये गये निरीक्षण की रक्षी संचिका उपस्थापित की गई, जो उचित नहीं है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका उपस्थापित करने हेतु निदेश दिये जाने पर वर्ष 1949 तक की भौलूम निकाली गई । निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका को सही ढंग से नहीं रखकर यत्र-तत्र रखा गया है । चूँकि यह रक्षी संचिका बहुमूल्य दस्तावेज है, अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी रक्षी संचिकाओं को वर्षवार /पदाधिकारीवार सजाकर सुरक्षित ढंग से रखें एवं जो भौलूम फट गया है, उसे अविलम्ब बाईन्डिंग करा लें ।

पूर्व की निरीक्षण टिप्पणियों का अवलोकन किया । अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है । अनुपालन प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से नहीं भेजकर गोल-मटोल जबाब दिया गया है यथा "अनुपालन किया जा रहा है, अनुपालन हो रहा है" । श्री जे0बी0झा, आ0उ0पा0, मधुबनी द्वारा दिनांक 15-10-1966, श्री हरिशंकर शुक्ला, आ0उ0पा0, मधुबनी द्वारा दिनांक 29-11-81 श्री एम0एन0झा, आ0उ0पा0, मधुबनी द्वारा दिनांक 26-02-86 एवं श्री पी0एन0तिवारी, आ0नि0, खजौली द्वारा दिनांक 13-12-1985 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभीतक नहीं भेजा गया है । कुछ अनुपालन प्रतिवेदन अत्यन्त बिलम्ब से भेजे गये हैं । साधारणतः निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए ।

लगातार...9/-

यदि इस अवधि में पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यदि उच्चाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से एवं समय-सीमा के अन्दर नहीं भेजा जाता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कर दिये जाने से कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार आ जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययनकर अवशेष कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजते हुए अवगत करायेंगे ।

वर्ष 1968 के बाद किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी अपने अधिनस्थ थाना क्षेत्र का वार्षिक रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि नियम 32 के तहत निरीक्षण सुनिश्चित कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करावें ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0 15 में थाना दैनिकी संधारित है, जो दो प्रतियों में है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक, खजौली को भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित किया जाता है । यह चक्र प्रतिदिन सुबह 08-00 बजे से प्रारम्भ होकर अगले दिन 08-00 बजे तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी के बुक नं0 10308 के क्रमांक 1030701 से 1030800 का अवलोकन किया । क्रमांक 250 पर अंकित किया गया है कि दिनांक 15-10-2002 को 17-15 बजे चौकीदार 4/5 शेख रसीद कलुआही थाना आये और थाना प्रभारी, कलुआही द्वारा अग्रसारित फर्द बयान, जो माणिक लाल यादव पे0 स्व0 कुशो यादव, सा0 पुरसौलिया, थाना कलुआही का है, समर्पित किये जिसके आधार पर खजौली (कलुआही) थाना कांड सं0 137/2002 धारा 341/323/504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया तथा विरुद्ध नथुनी यादव पे0 स्व0 ध्यानी यादव अन्य चार

लगातार...10/-

के नाम कायम किया जिसका अनुसंधान स0अ0नि0 शंभू प्रसाद, जमादार, कलुआही थाना कर रहे हैं वो करेंगे । थाना दैनिकी नियमित रूप से लिखी जा रही है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी संधारित है जिसमें भाग-। में अपने थाना के अपराधियों का नाम अंकित है जिसकी कुल संख्या 08 है । भाग-।। में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है जिसकी कुल संख्या 02 है । पंजी का अवलोकन किया । भाग-। में श्री भोला यादव, जो जी0आर0सं0 874/83 एवं टी0आर0सं0 266/84 के नामजद अभियुक्त हैं, को गिरफ्तार करने हेतु दिनांक 16-9-2002 को अंतिम रूप से प्रयास किया गया है परन्तु गिरफ्तार नहीं किये गये । इसी प्रकार फिरारी श्री जगदीश मिश्र, जो खजौली थाना कांड सं056/82, धारा 302, 34 भा0द0वि0 के अभियुक्त हैं, को गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 12-9-2002 को छापामारी की गई है । भाग-।। के फिरारी मुशी दास सा0 सुरौली, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर, जो खजौली थाना कांड सं0 42/82 के अभियुक्त हैं, को गिरफ्तार करने हेतु 15-9-2002 को आवेदन दिया गया है । इस पंजी के दूसरे फिरारी जितन महतो, जो सा0 सिद्धपकला, थाना लदनियाँ के निवासी हैं, को गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी, लदनियाँ को आवेदन दिया गया है परन्तु अभीतक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । यद्यपि कि फिरारी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है परन्तु इसमें और तेजी लाये जाने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि फिरार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु सघन अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एवं गुप्तचर के द्वारा उनके उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करें । कुछ ऐसे भी फिरार व्यक्ति हो सकते हैं, जिनकी उम्र काफी अधिक हो और वे मर गये हों । अतः थाना प्रभारी पूर्ण छानबीन कर ऐसे व्यक्तियों का नाम फिरारी पंजी से हटाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव दें । इस वर्ष फिरारी घोषित करने हेतु एक भी व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया है ।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए. में इस पंजी का संधारण करना है परन्तु इस

लगातार...11/-

थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इसे सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्ककर विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इस वर्ष अभीतक कुल 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें माह जनवरी, 2002 में 01, फरवरी में 07, मार्च में 04, अप्रील में 02, मई में 05, जून में 01, जुलाई में 05, अगस्त में 02 एवं सितम्बर में 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों के गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है । इससे अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है ।

9- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 50 में इस पंजी को संधारित करना है परन्तु इस थाना में नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि प्रपत्र के अभाव में पंजी संधारित नहीं की गई है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र प्राप्तकर पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इस पंजी के अनुसार दिनांक 16-10-2002 तक प्राप्त, निष्पादित एवं लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

पूर्व से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		माह के अंत में लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
50	14	18	5	27	13	41	6

पदाधिकारीवार लंबित वारंट / कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	लंबित वारंट	लंबित कुर्की

लगातार...12/-

1-	अ0 नि0 के0 एन0 पासवान	17	2
2-	अ0 नि0 पी0 डी0 गुड़िया	16	2
3-	स0अ0नि0 गोवर्धन मंडल	8	2
	कुल :-	41	6

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 41 वारंट एवं 6 कुर्की अभी भी तामिला हेतु लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित कुर्की एवं वारंटों को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है । यह पंजी दिनांक 15-07-2002 को जिला शस्त्र पंजी के मिलान करवाया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एकबार इस पंजी का मिलान करवाया जाना है, जो किया जा रहा है । इस थाना में कुल आर्म्स लाईसेंस की संख्या 38 है, जो निम्न प्रकार है :-

(क)	डी0 बी0 बी0 एल0 -	35
(ख)	एस0 बी0 बी0 एल0 -	01
(ग)	रिवॉल्वर -	01
(घ)	रायफल -	01
	कुल :-	38

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम 11 के नियम 239 ए. फार्म सं0 43 ए. में यह पंजी संधारित की गई है, जो अद्यतन है ।

लगातार...13/-

12- तख्ती नं0 1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्ति से संबंधित होती है । इस तख्ती में सरकारी सम्पत्ति की सूची रखी गई है एवं दिनांक 11-10-2002 को इसका मिलान आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में रखे गये अन्य सरकारी सम्पत्ति एवं लावारिस सम्पत्ति को भी दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को छुपने या इसकी क्षति पहुँचाने की संभावना से बचा जा सके ।

13- तख्ती नं0 2 :-

इस तख्ती में थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम, पता, आदि का नाम लिखा गया है, जो अद्यतन है ।

14- तख्ती नं0 3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है किन्तु इस थाना में प्रतिवेदन शून्य है ।

15- तख्ती नं0 4 :-

इस तख्ती में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

16- तख्ती नं0 5 :-

इस तख्ती में विष-अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है किन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

17- तख्ती नं0 6 :-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है ।

लगातार...14/-

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थानान्तर्गत विदेशी शराब, देशी शराब एवं मशालेदार शराब की एक-एक दूकान अर्थात कुल 03 दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त है जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या 66ए 19/2002-2003, 14/2002-2003 एवं 66 ए-26/2002-2003 है । सभी अनुज्ञप्तियों की छाया प्रति संधारित की गई है ।

18- तख्ती नं0 7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

19- तख्ती नं0 8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेसिंग सेन्टर आदि से संबंधित सूचना अंकित की जाती है । परन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

20- तख्ती नं0 9 :-

थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार एवं मेले की सूचना इस तख्ती में अंकित की जाती है । तख्ती अद्यतन है एवं विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	दिन
1-	फुलचनियाँ	वृहस्पतिवार / सोमवार
2-	करमौली	मंगलवार / शनिवार
3-	मंगसी	बुधवार / रविवार
4-	हरिशवाड़ा	मंगलवार / शनिवार
5-	महुआ	सोमवार / शुक्रवार
6-	कन्हौली	सोमवार / शुक्रवार
7-	भकुआ	मंगलवार / शनिवार
8-	मरार	सोमवार / शुक्रवार
9-	महराजपुर	वृहस्पतिवार / शनिवार

लगातार...15/-

10-	खजौली गाँव	सोमवार / शुक्रवार
11-	छपराढ़ी	रविवार / बृहस्पतिवार
12-	खजौली बाजार	प्रतिदिन

21- तख्ती नं0 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के निर्वाचित पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों, सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों, जिला परिषद के सदस्यों का नाम लिखा जाता है, जो लिखा गया है एवं अद्यतन है ।

22- तख्ती नं0 11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है । तख्ती संधारित है एवं अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0 12 :-

इस तख्ती में दागियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 12 है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम / पिता का नाम	ग्राम /सं0 नं0	अपराध शैली	जाँच अवधि
1-	ए / 12	योगेन्द्र यादव पे0 लक्ष्मी यादव	चतरा -7	डकैत	वार्षिक
2-	ए / 289	जुगेश्वर मुसहर पे0 बरकू मुसहर	दतुआर-6	चोर	वार्षिक
3-	बी/ 54	निरंजन मंडल पे0 मनचौड़ा मंडल	दतुआर-6	चोर	वार्षिक
4-	ए / 262	तेजवा कुर्मी पे0 रामचरण कुर्मी	रसीदपुर-2	चोर	अर्द्धवार्षिक
5-	ए / 294	कुलेश्वर राय पे0 सूर्य नारायण	करमौली-2	चोर/सेंधमार	अर्द्धवार्षिक
6-	बी/ 19	शिवन मंडल पे0 कपिलदेव मंडल	दतुआर- 6	चोर	अर्द्धवार्षिक

लगातार...16/-

7-	सी / 100	रामाशीष सिंह पे0 जगदेव सिंह	हथियाही-6	तस्कर	अर्द्धवार्षिक
8-	ए / 167	राम लगन दास पे0 सेतर दास	खजौली - 1	सेंधमार	मासिक
9-	ए / 295	उमेश सिंह पे0 रामाशीष सिंह	सुक्की -6	डकैत	मासिक
10-	ए / 296	चन्देश्वर सिंह पे0 रामलाल सिंह	सुक्की -6	डकैत	मासिक
11-	बी/ 107	पवन कुमार सिंह पे0 धनाई सिंह	सतुआर-6	चोर	मासिक
12-	बी/ 108	भूषण सिंह पे0 मुनेश्वर सिंह	सतुआर-6	चोर	मासिक

24- सहती नं0 13 :-

इस सहती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखजी जाती है । सूची अद्यतन है एवं इस सहती के अनुसार खजौली थाना के 12, बाबूबरही थाना के 17, जयनगर थाना के 07 एवं कलुआही थाना के 02 अपराधियों की सूची रखी गई है ।

25- सहती नं0 14 :-

इस सहती में अधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणियों की सूची रखी गई है, जो अद्यतन है ।

26- सहती नं0 15 :-

इस सहती में थाना का मानचित्र रखा जाता है परन्तु इस थाना में सहती में नहीं रखकर दीवाल पर टाँगा गया है, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है । बिहार हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जानेवाले अपराध-मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तरवाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर थाना मानचित्र को अद्यतन करते हुए उसकी एक प्रति सहती में भी संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...17/-

27- तख्ती नं0 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि की सूचना रखी जाती है किन्तु अधिसूचना की प्रति प्राप्त नहीं है । थाना प्रभारी अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन देंगे । प्राप्त सूचना के अनुसार इस थाना कुल सर्किल की संख्या 04, क्षेत्रफल 26 वर्ग कि0मी0, पंचायतों की संख्या 15, गाँवों की संख्या 37 एवं कुल जनसंख्या 01, 18, 109 है ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियाँ तो संधारित की गई हैं, किन्तु कुछ तख्तियों में अद्यतन सूचनाओं का अभाव है । थाना प्रभारी निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सूचनाओं को संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 बी. में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर निजी डायरी में संधारित किया जा रहा है । इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं/घटनाओं की भी प्रविष्टि नहीं की जा रही है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट- I :-

खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिकरूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि, आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । यह पंजी माह अगस्त, 2002 तक ही लिखी गई है । आरक्षी निरीक्षक एक सप्ताह के अन्दर माह सितम्बर की विवरणी लिखकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं भविष्य में माहवार संधारण सुनिश्चित करेंगे ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट - II :-

खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II विहित प्रपत्र में संधारित है । इसमें 64 कॉलम हैं । यह रजिस्टर

लगातार...18/-

अद्यतन लिखा हुआ पाया गया ।

31- सी0 डी0 पार्ट - I :-

इसमें दागी व्यक्तियों [डोसियर्स] की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 12 व्यक्ति दागी हैं ।

32- सी0 डी0 पार्ट - II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । इस पंजी का अवलोकन किया । अंतिम प्रविष्टि संख्या 2067 है, जो खजौली थाना कांड संख्या 130/2002 धारा 457 भा0द0वि0 विनोद मंडल पे0 विलट मंडल तथा सुरेश कामत पे0 महेन्द्र कामत सा0 मंगसी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है ।

33- सी0 डी0 पार्ट-III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक आदि मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है । यह पंजी इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें भाग-I में अपराधों की विवरणी सर्किलवार अंकित किया गया है, भाग-II में विश्वकर्मा पूजा, 2002 तक की विवरणी एवं भाग-III में भूमि विवाद, श्रम विवाद, राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक संबंधी गोपनीय अभ्युक्तियाँ दर्ज की जा रही है एवं अद्यतन है ।

यह पंजी थाना प्रभारी द्वारा स्व-हस्तलिपि में लिखी जाती है परन्तु वर्ष 2000 में तत्कालीन थाना प्रभारी जी0एम0 नौशाद द्वारा स्व-हस्तलिपि में नहीं लिखकर किसी दूसरे निजी व्यक्ति से लिखवाया गया है, जो आपत्तिजनक ही नहीं चिन्ताजनक स्थिति का भी द्योतक है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि तत्कालीन थाना प्रभारी के विरुद्ध

लगातार...19/-

समुचित कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

अधोहस्ताक्षरी को ऐसी जानकारी मिली है कि कतिपय थानों में निजी व्यक्तियों के द्वारा सी०डी०पार्ट-।। के साथ-साथ थाना दैनिकी तक लिखवाया जा रहा है, जो बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानों के विपरीत है । ऐसा प्रतीत होता है कि थानों में आवश्यक बल की कमी अथवा अभिलेखों के संधारण की उचित जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा किया जा रहा है । अतः यह आवश्यक है कि उचित संख्या बल का पदस्थापन सभी थानों में किया जाय एवं जानकार तथा विशेषज्ञ पदाधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कर अभिलेखों/पंजियों के संधारण हेतु उचित प्रशिक्षण थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाय । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में समुचित कार्रवाई कृपया अपने स्तर से करना चाहेंगे ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी०डी०पार्ट-।। से जानकारी हासिल की जाती है । अल्फावेट पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । यह पंजी सी०डी०पार्ट-।। के आधार पर ही बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी अच्छे ढंग से संधारित की जा रही है । इस पंजी के क्रमांक 153 पर श्री लाल बाबू ठाकुर का नाम अंकित है । इसी प्रकार श्री ठाकुर का नाम सी०डी०पार्ट-।। के क्रमांक 1729 पर है जबकि एम०ओ० इन्डेक्स पंजी के क्रमांक 263 पर उनका नाम दर्ज है । इस प्रकार तीनों पंजी में पूर्णतः तालमेल है ।

35- एम0 ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 76 ए. में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया

लगातार...20/-

या नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित की गई है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	पानी में डूबने से	सर्प दंश से	पेड़ से गिरने से	आग से	विद्युत से	फाँसी लगाने से	विविध कारण से
1997	-	1	-	3	1	2	-
1998	1	-	-	3	-	2	-
1999	1	-	-	1	-	-	-
2000	-	-	-	1	-	-	-
2001	2	-	-	1	2	-	2
2002	1	-	-	-	-	-	2

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1-	यू0डी0 7/98	13-09-98	स0 अ0 नि0 गोवर्धन मंडल	बिसरा जाँच हेतु
2-	यू0डी0 3/02	31-08-02	स0 अ0 नि0 राजेश्वर प्रसाद सिंह	बिसरा जाँच हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू0डी0 कांड संख्या 7/98 चार वर्षों से लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अतिशीघ्र निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

लगातार...21/-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी अलग से संधारित नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2000 से 2002 तक इस अधिनियम के अन्तर्गत एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो अविश्वसनीय लगता है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इस अधिनियम के तहत अलग से पंजी संधारित कर शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिस तथा प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े । ज्ञातव्य हो कि कजौली थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं दी जाती है । आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती हैं । अतएव थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान देंगे एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 323 के तहत फार्म संख्या 67 में यह पंजी संधारित करना है कि इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क कर एक सप्ताह में विहित प्रपत्र में पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें । थाना मालखाना में जमा आग्नेयास्त्रों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	जमाकर्त्ता का नाम एवं पता	शस्त्र सं0/अनु0सं0	थाना दैनिकी प्र0सं0/दि0
1-	श्री विष्णुदेव राय, ग्राम ठाहर	डी0बी0बी0एल0नं0 76374	170 दि0 19-11-1990
2-	श्री राज किशोर चौधरी, नरार	डी0बी0बी0एल0नं0 3551/3435	313 दि0 18-10-1992
3-	श्री राम गुलाम गोईत सा0 हथियाही	डीबीबीएल0नं0 122450	227 दि0 14-01-1995
4-	श्री जयदेव मिश्र सा0 पालीमोहन	डी0बी0बी0एल0नं0 9130	112 दि0 08-10-1998

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59 (क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है परन्तु

लगातार...22/-

आरक्षी निरीक्षक, खजौली द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को नहीं भेजा जा रहा है। नियम 59(क) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र संख्या 6 ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे। आरक्षी निरीक्षक, खजौली को निर्देश दिया जाता है कि नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी संधारित है। यह पंजी 19 कॉलमों में है जिसमें प्रत्येक चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित की गई है एवं उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जा रही है। अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है।

खजौली थाना में चौकीदारों एवं दफादारों के स्वीकृत बल/पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है।

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	दफादार	4	2	2
2-	चौकीदार	46	43	3

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	महाल/बीट सं0	पदनाम	नाम	गृह पता
1-	-	दफादार	नवल किशोर सिंह	ग्राम मंगती, थाना खजौली, मधुबनी
2-	-	दफादार	मो0 फिरोज	ग्राम बाबूपाली, खजौली, मधुबनी
3-	1/1	चौकीदार	राम टहल पासवान	ग्राम कन्हौली, थाना खजौली, मधुबनी
4-	1/2	चौकीदार	दुखी मंडल	ग्राम तारापट्टी, खजौली, मधुबनी

लगातार... 23/-

5-	1/3	चौकीदार	परमेश्वर पासवान	ग्राम हरिशवाड़ा, थाना खजौली
6-	1/4	चौकीदार	राम परीक्षण यादव	ग्राम इनरवा, थाना खजौली, मधुबनी
7-	1/5	चौकीदार	बालेश्वर महतो	ग्राम मनिअहवा, थाना खजौली, मधुबनी
8-	1/8	चौकीदार	राम कुमार पासवान	ग्राम तरावे, थाना खजौली, मधुबनी
9-	1/9	चौकीदार	राम उदगार पासवान	ग्राम तरावे, थाना खजौली, मधुबनी
10-	1/10	चौकीदार	राजेन्द्र पासवान	ग्राम ठाहर, थाना खजौली, मधुबनी
11-	1/11	चौकीदार	राम सेवक पासवान	ग्राम अकसपुरा, थाना खजौली
12-	1/12	चौकीदार	पचकौड़ी यादव	ग्राम धुतकीपट्टी, थाना खजौली
13-	1/13	चौकीदार	बिन्देश्वर महरा	ग्राम-थाना, खजौली, जिला मधुबनी
14-	2/1	चौकीदार	लालचन्द पासवान	ग्राम कपरिया, थाना खजौली, मधुबनी
15-	2/2	चौकीदार	राम लोभीत यादव	ग्राम करमौली, थाना खजौली, मधुबनी
16-	2/3	चौकीदार	तज्जे पासवान	ग्राम दयालपाली, थाना खजौली
17-	2/4	चौकीदार	राम प्रसाद पासवान	ग्राम देवस्तपुर, थाना खजौली
18-	2/5	चौकीदार	बासुदेव पासवान	ग्राम रतीपुर, थाना खजौली, मधुबनी
19-	2/6	चौकीदार	कपलेश्वर पासवान	ग्राम रतीपुर, थाना खजौली, मधुबनी
20-	2/7	चौकीदार	यदुनी यादव	ग्राम डाठा, थाना खजौली, मधुबनी
21-	2/8	चौकीदार	धुरन पासवान	ग्राम पालीमोहन, थाना खजौली
22-	2/9	चौकीदार	महेन्द्र मंडल	ग्राम पालीमोहन, थाना खजौली
23-	2/10	चौकीदार	मंजर आलम	ग्राम बाबूबाली, थाना खजौली
24-	2/11	चौकीदार	मो0 इलियास	ग्राम कजियाही, थाना खजौली
25-	2/12	चौकीदार	भरत यादव	ग्राम ठेंगहा, थाना खजौली, मधुबनी
26-	6/1	चौकीदार	महेन्द्र पासवान	ग्राम दतुआर, थाना खजौली, मधुबनी
27-	6/3	चौकीदार	जगदीश यादव	ग्राम विरौल, थाना खजौली, मधुबनी
28-	6/5	चौकीदार	मो0 इसराईल	ग्राम तुक्की, थाना खजौली, मधुबनी
29-	6/6	चौकीदार	शुभक लाल यादव	ग्राम विरौल, थाना खजौली, मधुबनी
30-	6/7	चौकीदार	महेन्द्र पासवान	ग्राम एकडारा, थाना खजौली
31-	6/8	चौकीदार	गुंजन पासवान	ग्राम हथियाही, थाना खजौली
32-	6/9	चौकीदार	उपेन्द्र यादव	ग्राम बेहटा, थाना खजौली, मधुबनी

लगातार...24/-

33-	6/12	चौकीदार	जगदीश यादव	ग्राम विरौल, थाना खजौली, मधुबनी
34-	6/13	चौकीदार	मो0 तसलीम	ग्राम ठुक्की, थाना खजौली, मधुबनी
35-	7/1	चौकीदार	मो0 हबीब	ग्राम चन्द्रडीह, थाना खजौली, मधुबनी
36-	7/2	चौकीदार	जगदीश पासवान	ग्राम महराजपुर, थाना खजौली
37-	7/3	चौकीदार	धुरन पासवान	ग्राम चतरा, थाना खजौली, मधुबनी
38-	7/6	चौकीदार	हलखोरी ततमा	ग्राम चतरा, थाना खजौली, मधुबनी
39-	7/8	चौकीदार	तेतर पासवान	ग्राम कसमा, थाना खजौली, मधुबनी
40-	7/9	चौकीदार	राम सेवक पासवान	ग्राम ठोलबज्जा मरार, थाना खजौली
41-	7/10	चौकीदार	रशीद मियाँ	ग्राम मरार, थाना खजौली, मधुबनी
42-	7/11	चौकीदार	बिजली पासवान	ग्राम मरार ठोलबज्जा, खजौली
43-	7/12	चौकीदार	रघु पासवान	ग्राम भकुआ, थाना खजौली, मधुबनी
44-	7/13	चौकीदार	कारी यादव	ग्राम मरूकिया, थाना खजौली, मधुबनी
45-	7	चौकीदार	शिवेश्वर सिंह	ग्राम गोवरौड़ा, थाना खजौली, मधुबनी

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दफादार का 2 एवं चौकीदार का 3 पद रिक्त है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु समुचित प्रस्ताव उचित माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

41- चौकीदारी डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 6 स्तम्भों को भरा हुआ पाया गया ।

42- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत फार्म सं0 51 में मालखाना पंजी संधारित करना है जिसमें §क§ लावारिस सामान §ख§ जब्त सम्पत्ति §ग§ कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं §घ§ अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । इस थाना में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित

लगातार... 25/-

की गई है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र की आपूर्ति नहीं की गई है, इसीलिए सादे पंजी में संधारित की गई है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र प्रा कर एक सप्ताह में पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । मालखाना पंजी का अवलोकन किया । इस पंजी के अनुसार वर्ष 1973 से 2002 के बीच प्रदर्श की संख्या 218, कुर्की 96 एवं लावारिश 15 कुल 329 सामान है । मालखाना व अवलोकन किया गया । सभी जब्त सम्पत्तियों को यत्र-तत्र एवं अस्त-व्यस्त ढंग से रखा गया है । जब्त हंडा एवं बाल्टी यों ही फेंका गया है । किसी भी सामग्री पर कांड संख्या एवं वर्ष अंकित नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चलता है कि कौन -सा प्रदर्श किस कांड से संबंधित है । जब्त गाँजा सड़कर विनष्ट हो गया है एवं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है । थाना भवन के बरामदा पर 25-30 साईकिल रखी हुई है, जो लावारिश है । इसी प्रकार थाना प्रांगण में एक जीप एवं एक मारूति कार रखी गई है । इसके निष्पादन हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है । सिरिस्ता कक्ष के लकड़ी आलमीरा में पुरानी संचिकाओं को अस्त-व्यस्त रूप से रखा गया है, इसे वर्षवार/विषयवार वर्गीकरण नहीं किया गया है । इसी प्रकार दूसरी आलमीरा में निष्पादित डोसियर्स की सूची रखी गई है, जिसकी अब संभवतः कोई आवश्यकता नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी जब्त सामग्रियों को वर्षवार/कांडवार सजाकर रखें । जो सामान लावारिश है, उसके निष्पादन हेतु सूची बनाकर सक्षम स्वीकृति प्राप्तकर 15 दिनों के अन्दर निष्पादित करें । जो प्रदर्श कांड से संबंधित हैं, उसके बारे में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी से अद्यतन स्थिति प्राप्तकर/सक्षम स्वीकृत प्राप्तकर एक माह के अन्दर निष्पादित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । मालखाना का संधारण संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है

43- मालखाना रिसीट भउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । इसे सही ढंग से संधारित किया गया है ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजिया अथवा संचिकाएँ संधारित की गई हैं, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई

लगातार...26/-

गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । आवश्यकतानुसार इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्ग-दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

45- गुण्डा पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 1315 के तहत प्रपत्र संख्या 220 में गुण्डा पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 1316§क§ के अनुसार अपराध शैली के अनुसार गुण्डों का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जायगा :-

1- शराबी
2- दबाव डालकर पैसा ऐंठनेवाले
3- मादक पदार्थों का अवैध कारबार करनेवाले
4- महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करनेवाले
5- काला बाजारी करनेवाल
6- दंगाई
7- मुकदमेबाज
8- तोड़-फोड़ करनेवाले
9- संप्रदायवादी
10- छात्रों को भड़कानेवाले
11-स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करनेवाले
12- जुआड़ी
13- छीन-छोर करनेवाले
14- रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करनेवाले

संधारित गुण्डा पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में पत्रांक 14 दिनांक 14-1-2001 द्वारा 3 व्यक्तियों का प्रस्ताव भेजा गया है यथा §1§ श्री विजय कुमार यादव पे0 अयोधी यादव §2§ श्री धर्मेन्द्र कुमार राय पे0 तिरपित राय एवं §3§ श्री धनेश यादव पे0 हरखू यादव, सा0 इनरवा, थाना खजौली, जिला मधुबनी । वर्ष 2001 के बाद एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

46- अपराध आँकड़ा :-

खजौली थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1997	4	1	-	5	5	17

लगातार...27/-

1998	–	–	1	3	7	14
1999	1	–	1	3	5	10
2000	2	2	–	4	11	5
2001	1	–	–	7	7	12
2002	–	–	–	6	4	6

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि कि अपराध की घटना में कमी आई है परन्तु इसमें और सुधार की आवश्यकता है, कारगर कार्रवाई की आवश्यकता है । थाना प्रभारी इस ओर पूर्ण सचेष्ट रहें एवं पूर्णतः चौकसी बरतकर/सघन अभियान चलाकर बढ़ती अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक को भी इस पर पूर्ण निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्ती थाना से संबंधित एवं §4§ आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । इस थाना में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है जिसके अनुसार विगत तीन वर्षों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
2000	564	738
2001	475	776
200	479	683

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त पत्रों की तुलना में निर्गत पत्रों की संख्या अधिक है । पत्राचार की स्थिति संतोषप्रद है किन्तु लंबित पत्रों की विवरणी नहीं तैयार की जा रही है । थाना प्रभारी लाल ईंक में लंबित पत्रों की विवरणी तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि उसके शीघ्र निष्पादन में आसानी हो ।

लगातार...28/-

48- कॉन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89 (ड॰) के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबल द्वारा कौन-कौन-सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया । किन्तु इस थाना में कॉन्स्टेबुल नोट बुक संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में इसे संधारितकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

49- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी के बुक नं0 23410 तथा क्रमांक 117045। से 1170500 का अवलोकन किया । इस वर्ष कुल 137 प्राथमिकी दर्ज की गई है । यह पंजी 5 प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी/दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी/तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर/चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक, खजौली एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है तो उसकी बात पूरी तत्परता से सुनकर, प्राथमिकी दर्जकर निष्पक्ष होकर त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि लोगों का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़े एवं असमाजिक तत्वों का मनोबल गिरे ।

50- अप्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँ वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	107/116	144/145	109	133	188	182/211
1997	46	8	-	-	-	1

लगातार...29/-

1998	58	2	-	-	-	2
1999	80	13	-	-	1	2
2000	58	5	-	-	1	3
2001	79	6	-	1	-	2
2000	48	12	-	-	5	-

51- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम/पदनाम	लंबित का कारण
1-	138/93	18-07-93	467/468/406/409/420 भा०द०वि०	कोपरेटिव सेल	अनुसंधान में
2-	64/01	17-06-01	409/420 भा०द०वि०	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु
3-	129/01	17-10-01	341 /323/324/34 भादवि एवं 25/26/35	स०अ०नि०आर०पी०सिंह	अभि०स्वी०हेतु
4-	130/01	17-10-	341/323/324/भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	स०अ०नि०आर०पी०सिंह	अंतिम आदेशहेतु
5-	131/01	17-10-01	302 भा०द०वि०	अ०नि० के०एन०पासवान	अनुसंधान में
6-	134/01	20-10-01	406/420 भा०द०वि०	अ०नि० के०एन०पासवान	साईकिल बरा०
7-	145/01	10-11-01	376 भा०द०वि०	स०अ०नि०आर०पी०सिंह	अनुसंधान में
8-	20/02	20-02-02	420/406/467/468/671 भा०द०वि०	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	आदेश हेतु
9-	66/02	28-05-02	420/409/भा०द०वि०	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु
10-	68/02	01-06-02	409/420 भा०द०वि०	अ०नि०के०एन०पासवान	गिरफ्तारी हेतु
11-	107/02	05-08-02	376/511 भा०द०वि०	अ०नि०के०एन०पासवान	आदेश हेतु
12-	122/02	04-09-02	302/201/भा०द०वि० परि०304{बी}201	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु

52- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

1-	94/99	30-08-99	379/34 भा०द०वि०	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु
2-	62/01	11-06-01	147/148/341/342/323/324/307 भाद०वि०	अ०नि०पी०डी०गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु

लगातार...30/-

3-	167/01	17-12-01	379 भा0द0वि0 एवं 33 वन अधि0	अ0नि0के0एन0पातवान	अनुसंधान हेतु
4-	56/02	14-05-02	341/342/323/324/307/482/380/427/34	स0अ0नि0आर0पी0सिंह	अनुसंधान हेतु
5-	55/02	16-05-02	341/323/324/427/379/380/504/34 भा0	स0अ0नि0आर0पी0सिंह	अनुसंधान हेतु
6-	79/02	17-06-02	341/323/324/448/379/380/504/34 भा0	अ0नि0पी0डी0गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु
7-	85/02	25-06-02	144/379/504/34 भा0द0वि0	अ0नि0पी0डी0गुड़िया	आदेश हेतु
8-	101/02	21-07-02	341/323/379/504/34 भा0द0वि0	अ0नि0पी0डी0गुड़िया	गिरफ्तारी हेतु
9-	106/02	04-08-02	427/379/ भा0द0वि0	अ0नि0के0एन0पातवान	अनुसंधान हेतु
10-	126/02	08-09-02	341/323/324/379/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0गोर्वधन मंडल	अनुसंधान हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1993 का एक, 1999 का एक एवं 2001 का 8 कांड अभीभी लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित कांडों के निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई करें ।

52- चरित्र सत्यापन :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 92(क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस वर्ष प्राप्त चरित्र सत्यापन के आवेदन पत्रों की पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि चरित्र सत्यापन के जो भी मामले प्राप्त होते हैं, उनका निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्दर कर संबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े ।

53- कैश बुक :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 124(क) के तहत फार्म सं0 22 में संधारित कैश बुक का अवलोकन किया । कैश बुक दो भागों में होती है । भाग-I में कैदियों के भोजन की राशि रहती है जिसमें मो0 3886/-रू0 अवशेष है । भाग-II में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन की राशि अंकित जाती है । माह अगस्त में इस मद में 85187/-रू0 प्राप्त हुए थे जिसका वितरण कर दिया गया है ।

लगातार...31/-

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि महिला हाजत के निर्माण की राशि मो0 7324/-रू0 प्राप्त हुआ है जिसका भुगतान तत्कालीन थाना प्रभारी अ0नि0 के0डी0पासवान, जो वर्तमान में किशनगंज जिला बल में स्थानान्तरित होकर चले गये हैं, को करना है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि श्री पासवान से पत्राचार कर एक पक्ष के अन्दर भुगतान करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

54- कीट परेड का निरीक्षण :-

निरीक्षण हेतु कीट परेड की व्यवस्था नहीं की गई थी । थाना प्रभारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे कि किस परिस्थिति में कीट परेड के निरीक्षण की व्यवस्था नहीं की गई ।

55- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का टर्न आऊट अच्छा रहा ।

56- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्त्तव्य क्या-क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81{क} में थाना प्रभारी के क्या-क्या कर्त्तव्य हैं, की विस्तृत विवरणी दी गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नियम 81{क} के तहत दिये गयें निर्देशों को आत्मसात करते हुए सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

57- अन्यान्य :-

{क} जिला विधि अनुश्रवण समिति की जिला स्तर पर मासिक बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीम

लगातार...32/-

के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) जिला विधि अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक में एस०पी०पी० द्वारा जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लंबित कांडों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम वादों में निर्गत डी०डब्लू० एवं बी०डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से साप्ताहिक रूप से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(च) बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 100 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अतिक्रमण को मुक्त करावें ।

(छ) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से व्यवहार करें ।

5a- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप पूर्णतः संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । पंजियों एवं अभिलेखों के संधारण में काफी सुधार की आवश्यकता है । थाना परिसर की नियमित साफ-सफाई की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को कड़ी मेहनत की आवश्यकता है । यदि निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित कर लिया जाता है तो थाना के कार्य-कलाप में गुणात्मक सुधार हो जायगा ।

ह०/- डा० बी० राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार...33/-

ज्ञाप संख्या 1619 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 ई० ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी निरीक्षक, खजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - थाना प्रभारी, खजौली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

30.10.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।